न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 05/23 सन् 2023

जीसीएमएस संख्या 2023/91

बउनवानीः–

1. नगीना पुत्र दिलदार बंजारा नि0ईसरदा की ढाणी रहमानपुरा तह0 चौथ का बरवाडा
2. हबीब पुत्र दरगाही बंजारा नि0ईसरदा की ढाणी रहमानपुरा तह0 चौथ का बरवाडा
3. अयूब पुत्र गुलजारी बंजारा नि0ईसरदा की ढाणी रहमानपुरा तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. नर्वदा देवी पत्नि प्रहलाद वर्मा जाति रेगर निवासी 88 महावीर नगर रणथम्भौर सर्किल के पास सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाडा की पत्रावली संख्या 24/2022 अन्तर्गत धारा 183बी, मे पारित आदेश दिनांक 13.3.2023 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः– 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील अपीलान्ट,

2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील रेस्पो.

–: निर्णय :–

दिनांक 02.04.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 24/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 13.3.2023 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि विपक्षी ने न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि पर सलीम मास्टर द्वारा कब्जा कर रखा है जिसको बेदखल किया जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सलीम मास्टर के स्थान पर अपीलान्टान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर बदेखली बाबत पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टगण ने अपनी जवाबदेही में स्पष्ट किया कि अपीलान्टान गोरधन पुत्र मांग्या रेगर की 5 बीघा भूमि को गोरधन के जीवनकाल से तथा गोरधन के पश्चात उसके वारिसान की ओर से बतौर साझी काश्त करते आ रहे है गोरधन की आराजीयात को सेटलमेंट द्वारा रेस्पो. के नाम लगा दिया जबकि गोरधन व उसके वारिसान का अपीलान्ट के माध्यम से ख0न0 5403,5406,5407 पर कब्जा चला आ रहा है अपीलान्ट के कब्जे वाली भूमि कभी भी रेस्पो0 व उसके बुजुर्गो की नही रही बल्कि अन्य जगह पर है तथा स्वंय रेस्पो. ने अपनी भूमि पर कब्जा सलीम का बताया है लेकिन अदालत मातहत ने इस पर गौर नही किया है। यह तर्क भी दिया कि अदालत मातेहत ने दिनांक 16.12.2022 को रेस्पो. से जिरह करने के पश्चात अपीलान्ट की साक्ष्य हेतु तारीख दिनांक 3.1.2023 निश्चित की गयी किन्तु दिनांक 3.1.2023, 23.1.2023 एवं 21.2.2023 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो मे व्यस्त होने के कारण आदेशिका में तारीख पेशी दिनांक 13.3.2023 नियत की गयी है किन्तु पक्षकारान को उक्त तारीख पेशी नही बतायी गयी है ओर दिनांक 13.3.2023 को दोनो ही पक्ष अनुपस्थित बेदखली का निर्णय पारित किया है जबकि अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाना चाहिए था जो नही जाकर भारी बूल की गयी है ओर अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर भी नही दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण का अन्तिम निर्णय दोनो पक्षो की अनुपस्थिति में बिना बहस सुने ही नेचुरल जस्टिस के विपरीत किया गया है। रेस्पो. का अपने ससुर की जमीन पर कभी कब्जा नही रहा है स्वंय रेस्पो. द्वारा भी इस जमीन पर कब्जा सलीम [illegible] स्पष्ट हो जाता है कि ख0न0 5403,5406,5407 से रेस्पो0 व उसके बुजुर्गो का कोई [illegible] ही है। रेस्पो0जहॉ पर सलीम मास्टर का कब्जा बता रहा है बाउण्ड्री अपनी [illegible] कब्जे वाली भूमि के स्थान पर प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि [illegible] खातेदारी अप्रार्थी के नाम लगा दी जिसके लिए गोरधन के वारिस [illegible] की कार्यवाही की जा रही [illegible] प्रकार रेस्पो. की जमीन अलग स्थान पर होने के कारण अपील [illegible] लान्ट स्वीकार कर आ[illegible] अपील अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि मुझ रेस्पो. की खातेदारी भूमि ख0न0 5403 रकबा 0.32 है0,5406 रकबा 0.44 है0 ,5407 रकबा 0.55 है0 कुल 1.26 है0 पर सलीम मास्टर द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है जिसको बेदखल किये जाने बाबत दिनांक 16.6.2022 को तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का से प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की जॉच करवायी गयी। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट के ग्राम शिवाड के ख0न0 5403 रकबा 0.32 है0, ख0न0 5406 रकबा 0.44 है0, ख0न0 5407 रकबा 0.55 है0 कुल 1.26 है0 मुझ रेस्पो. के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज बताते हुए वर्तमान में ख0न0 5405 पर हबीब पुत्र दरगाही व नगीना पुत्र दिलदार बंजारा निवासी ईसरदा व ख0न0 5406 पर अयुब पुत्र गुलजारी एवं नगीना पुत्र दिलदार एवं ख0न0 5407 पर अयूब पुत्र गुलजारी बंजारा का कब्जा काश्त बताया जाने पर उनको नोटिस जारी कर दिनांक 20.7.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत लिखा गया। नियत दिनांक 20.7.2022 को तीनो अप्रार्थीगण अधनीस्थ न्यायालय मे मय अधिवक्ता श्री अब्दुल बहाव के उपस्थित हुऐ एवं दिनांक 16.9.2022 को जवाब पेश किया गया तथा मुझ प्रार्थी की ओर से भी दिनांक 17.10.2022 को श्री सुरेश कुमार वर्मा द्वारा वकालातानामा पेश कर जवाब एवं बहस को समय चाहा गया। उक्त भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य धारा 136 के तहत कोई प्रकरण जैरकार होने से संबंधित कोई दस्तावेजी ,साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा मे पेश नही किया जाने के कारण अपीलान्ट का उक्त कथन मे कोई सत्यता नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया गया ।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि रेस्पो0 विवादित भूमि ख0न0 5403,5406,5407 के रिकार्डेड खातेदार है जिसपर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का शिवाड की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2022 से हो जाती है एवं उक्त भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल किया जाना उचित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी उक्त बेदखली की कार्यवाही विधिसम्मत नही है क्योकि प्रार्थी द्वारा सलीम मास्टर को बेदखल करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ओर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अप्रार्थी नगीना, हबीब, अयूब के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की गयी है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित ख0न0 को लेकर धारा 136 का प्रकरण विचाराधीन होने बाबत कथन किया है किन्तु प्रकरण का निस्तारण दोनो पक्षो की अनुपस्थिति में किये जाने के कारण धारा 136 का प्रकरण विचाराधीन होने से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करने का अपीलान्ट को अवसर नही मिल पाया है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण मे अपीलान्ट को सुनवायी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिये गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ। इसलिए प्रकरण को पुनः सुनवायी हेतु तहसीलदार चौथ का बरवाडा को भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि पर से अप्रार्थी नगीना, हबीब, अयूब को बेदखल किये जाने बाबत प्रार्थी से प्रार्थना पत्र लिया जावे। उक्त भूमि को लेकर धारा 136 का प्रकरण विचाराधीन होने से संबंधित साक्ष्य दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाकर उभय पक्षों को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner